<u>फर्द अहकाम</u>

<u>(नियम 15)</u>

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

अभय कुमार जैन बनाम सरकार

किस्म मुकदमा:- प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बर:- 22 सन् 2019
RCMS No. 2019/00046

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुवे
27.06.19	*यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री अभय कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री बंगाली प्रसाद जैन निवासी वार्ड 18 राजाखेड़ा जिला धौलपुर ने लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा जवाब नहीं दिये जाने के कारण पेश की है। अपील का अवलोकन कर मनन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भिजवाई जाकर टिप्पणी प्राप्त की जावे। अपीलान्ट को भी आगामी तारीख पेशी की सूचना भिजवाई जावे। पत्रावली वास्ते इंतजार टिप्पणी हेतु आगामी तारीख पेशी 08.07.2019 को पेश हो।* नेहा गिरि नेहा गिरि जिला कलक्टर धौलपुर	426-427 28.6.19
8.7.19	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर धौलपुर) से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी धौलपुर ने अवगत कराया कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(22)प्रसु/सु०अ०प्र०/06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार सूचना दिया जाना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के तहत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है। जो लोक प्राधिकारी के पास P.T.O.	

पहले से मौजूद है। तदनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक 2079 दिनांक 9.5.2019 के द्वारा रजिस्टर्ड पत्र द्वारा अवगत करा दिया है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जो सूचना उपलब्ध कराई है वह सही है। अतः अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो। 493/1879

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर